

अपर समाहर्ता का न्यायालय, दुमका ।

रे०मि० अपील सं० 38/11-12

अमूल्य रतन दास.....अपीलकर्ता

बनाम

नव गोपाल दास.....उत्तरकारी


।।आदेश।।


यह रे०मि० अपील वाद सं० 38/11-12 अमूल्य रतन दास एवं अन्य बनाम नव गोपाल दास एवं अन्य सा० सापचला, थाना-मसलिया के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आर० ई० वाद सं० 79/05-06 में पारित आदेश दिनांक 02.09.08 के विरुद्ध में दायर किया है ।

अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उभय क्रई पक्ष कई तिथियों से न्यायालय में बिना कारण बताए अनुपस्थित है, उन्हें दिनांक 12.05.17 को न्यायालय में उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिश निर्गत किया गया । नोटिश बिना तामिला का वापस किया गया है, जिसमें प्रक्रिया पालक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उभय पक्ष सम्बंधित मौजा में नहीं रहते है । उभय पक्ष द्वारा लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित रहने से स्पष्ट होता है कि उभय पक्षों को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है ।

अतः वाद की कार्रवाई बिना विचारण के समाप्त किया जाता है ।

लेखापित एवं संशोधित



अपर समाहर्ता,
दुमका ।


अपर समाहर्ता,
दुमका ।

ज्ञापांक.....31...../डी०बी०, दुमका

दिनांक.....7/10/17

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेश की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।
प्राप्त निम्न न्यायालय का अभिलेख सं० आर०ई० 79/05-06 अमूल रतन दास बनाम राम दास का मूल में संलग्न कर भेजा जाता है ।


अपर समाहर्ता,
दुमका ।